This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 08 अगस्त, 2024 / 17 श्रावण, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 2024

सं0 विस0–विधायन–समिति गठन / 1–14 / 2018.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2024–25

के लिए गठित सदन की समितियों में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्न सदस्यों को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया है :––

1. लोक लेखा समिति

1.	**श्री अनिल शर्मा**	**सभापति**
2.	श्री हंस राज	सदस्य
3.	श्री बलबीर सिंह वर्मा	सदस्य
4.	श्री संजय रत्न	सदस्य
5.	श्री इन्द्र सिंह	सदस्य
6.	श्री जीत राम कटवाल	सदस्य
7.	डॉ0 जनक राज	सदस्य
8.	श्री मलेन्द्र राजन	सदस्य
9.	श्री केवल सिंह पठानिया	सदस्य
10.	कैप्टन रणजीत सिंह	सदस्य
11.	श्रीमती कमलेश ठाकुर	सदस्य

2. प्राक्कलन समिति

1.	**श्री राकेश कालिया**	**सभापति**
2.	श्री सुधीर शर्मा	सदस्य
3.	श्री सतपाल सिंह सत्ती	सदस्य
4.	श्री पवन कुमार काजल	सदस्य
5.	श्री राकेश जम्वाल	सदस्य
6.	श्री नीरज नैय्यर	सदस्य
7.	श्री दलीप ठाकुर	सदस्य
8.	श्री त्रिलोक जम्वाल	सदस्य
9.	श्री अजय सोलंकी	सदस्य
10.	श्री कुलदीप सिंह राठौर	सदस्य
11.	श्री हरदीप सिंह बावा	सदस्य

3. लोक उपक्रम समिति

1.	**श्री भवानी सिंह पठानिया**	**सभापति**
2.	श्री विपिन सिंह परमार	सदस्य
3.	श्री बिक्रम ठाकुर	सदस्य
4.	श्री सुख राम	सदस्य
5.	श्री इन्द्र दत्त लखनपाल	सदस्य
6.	श्री सुरेन्द्र शौरी.	सदस्य

7.	श्री भुवनेश्वर गौड़	सदस्य
8.	श्री पूर्ण चन्द ठाकुर	सदस्य
9.	श्री सुरेश कुमार	सदस्य
10.	श्री हरीश जनारथा	सदस्य
11.	श्री विवेक शर्मा (विकू)	सदस्य

4. कल्याण समिति

1.	**श्री नन्द लाल**	**सभापति**
2.	श्री विनोद कुमार	सदस्य
3.	श्री रणधीर शर्मा	सदस्य
4.	श्री प्रकाश राणा	सदस्य
5.	श्रीमती रीना कश्यप	सदस्य
6.	श्री लोकेन्दर कुमार	सदस्य
7.	श्री दीप राज	सदस्य
8.	श्री चन्द्र शेखर	सदस्य
9.	श्री सुदर्शन सिंह बबलू	सदस्य
10.	श्री विनोद सुल्तानपुरी	सदस्य
11.	सुश्री अनुराधा राणा	सदस्य

5. स्थानीय निधि लेखा समिति

1.	**श्री संजय रत्न**	**सभापति**
2.	डॉ० हंस राज	सदस्य
3.	श्री सतपाल सिंह सत्ती	सदस्य
4.	श्री प्रकाश राणा	सदस्य
5.	श्री आशीष शर्मा	सदस्य
6.	श्री केवल सिंह पठानिया	सदस्य
7.	श्री कुलदीप सिंह राठौर	सदस्य
8.	श्री हरीश जनारथा	सदस्य
9.	श्री विवेक शर्मा (विकू)	सदस्य

6. अधीनस्थ विधायन समिति

1.	**माननीय उपाध्यक्ष**	**सभापति**
2.	श्री पवन कुमार काजल	सदस्य
3.	श्री सुरेन्द्र शौरी	सदस्य
4.	श्रीमती रीना कश्यप	सदस्य
5.	श्री रणवीर सिंह (निक्का)	सदस्य
6.	श्री भुवनेश्वर गौड़	सदस्य
7.	श्री दलीप ठाकुर	सदस्य

8.	श्री सुरेश कुमार	सदस्य
9.	श्री विनोद सुल्तानपुरी	सदस्य

7. जन प्रशासन समिति

1.	**श्री संजय रत्न**	**सभापति**
2.	श्री विपिन सिंह परमार	सदस्य
3.	श्री राकेश जम्वाल	सदस्य
4.	श्री इन्द्र सिंह	सदस्य
5.	श्री डी0एस0 ठाकुर	सदस्य
6.	श्री लोकेन्दर कुमार	सदस्य
7.	श्री चन्द्र शेखर	सदस्य
8.	श्री हरीश जनारथा	सदस्य
9.	कैप्टन रणजीत राणा	सदस्य

8. मानव विकास समिति

1.	**श्री भवानी सिंह पठानिया**	**सभापति**
2.	श्री बिक्रम सिंह	सदस्य
3.	श्री विनोद कुमार	सदस्य
4.	श्री बलबीर सिंह वर्मा	सदस्य
5.	श्री रणवीर सिंह निक्का	सदस्य
6.	श्री मलेन्द्र राजन	सदस्य
7.	श्री अजय सोलंकी	सदस्य
8.	श्री कुलदीप सिंह राठौर	सदस्य
9.	सुश्री अनुराधा राणा	सदस्य

9. सामान्य विकास समिति

1.	**श्री नन्द लाल**	**सभापति**
2.	श्री अनिल शर्मा	सदस्य
3.	श्री सुधीर शर्मा	सदस्य
4.	श्री राकेश कालिया	सदस्य
5.	श्री रणधीर शर्मा	सदस्य
6.	श्री जीत राम कटवाल	सदस्य
7.	श्री दलीप ठाकुर	सदस्य
8.	श्री सुदर्शन सिंह बबलू	सदस्य
9.	श्री हरदीप सिंह बावा	सदस्य

10. ग्रामीण नियोजन समिति

1.	**श्री केवल सिंह पठानिया**	**सभापति**
2.	श्री सुख राम	सदस्य
3.	श्री इन्द्र दत्त लखनपाल	सदस्य
4.	श्री आशीष शर्मा	सदस्य
5.	श्री नीरज नैय्यर	सदस्य
6.	श्री दीप राज	सदस्य
7.	श्री सुदर्शन सिंह बबलू	सदस्य
8.	श्री त्रिलोक जम्वाल	सदस्य
9.	श्रीमती कमलेश ठाकुर	सदस्य

11. विशेषाधिकार समिति

1.	**माननीय उपाध्यक्ष**	**सभापति**
2.	श्री भवानी सिंह पठानिया	सदस्य
3.	श्री नीरज नैय्यर	सदस्य
4.	श्री डी0 एस0 ठाकुर	सदस्य
5.	श्री पूर्ण चन्द ठाकुर	सदस्य
6.	श्री चन्द्र शेखर	सदस्य
7.	श्री अजय सोलंकी	सदस्य

12. सदस्य सुविधा समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष**	**सभापति**
2.	माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य
3.	माननीय उप–मुख्य मन्त्री	सदस्य
4.	माननीय संसदीय कार्य मन्त्री	सदस्य
5.	श्री विपिन सिंह परमार	सदस्य
6.	श्री बिक्रम ठाकुर	सदस्य
7.	श्री आर0एस0 बाली	सदस्य
8.	श्री हरीश जनारथा	सदस्य
9.	श्रीमती कमलेश ठाकुर	सदस्य

13. कार्य सलाहकार समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष**	**सभापति**
2.	माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य
3.	माननीय संसदीय कार्य मन्त्री	सदस्य
4.	श्री जय राम ठाकुर, नेता विपक्ष	सदस्य
5.	श्री सुख राम	सदस्य

6.	श्री संजय रत्न	सदस्य
7.	श्री राकेश जम्वाल	सदस्य
8.	श्री केवल सिंह पठानिया.	सदस्य
9.	श्री भुवनेश्वर गौड	सदस्य

14. नियम समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष**	**सभापति**
2.	माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य
3.	माननीय संसदीय कार्य मन्त्री	सदस्य
4.	श्री सतपाल सिंह सत्ती	सदस्य
5.	श्री बलबीर सिंह वर्मा	सदस्य
6.	श्री भवानी सिंह पठानिया	सदस्य
7.	श्री अजय सोलंकी	सदस्य

15. आचार संहिता समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष**	**सभापति**
2.	श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु, माननीय मुख्य मन्त्री	सदस्य
3.	श्री अनिल शर्मा	सदस्य
4.	श्री नन्द लाल	सदस्य
5.	श्री रणधीर शर्मा	सदस्य
6.	श्री संजय रत्न	सदस्य
7.	श्री भवानी सिंह पठानिया	सदस्य
8.	डॉ0 जनक राज	सदस्य

16. पुस्तकालय अनुसंधान एवं संदर्भ समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष**	**सभापति**
2.	श्री रणधीर सिंह निक्का	सदस्य
3.	श्री लोकेन्द्र कुमार	सदस्य
4.	श्री पूर्ण चन्द ठाकुर	सदस्य
5.	श्री सुरेश कुमार	सदस्य
6.	श्री अजय सोलंकी	सदस्य
7.	श्री कुलदीप सिंह राठौर	सदस्य

17. ई–गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष**	**सभापति**
2.	श्री विपिन सिंह परमार	सदस्य
3.	श्री सुरेन्द्र शौरी	सदस्य
4.	श्री आशीष शर्मा	सदस्य
5.	श्री मलेन्द्र राजन	सदस्य

6.	श्री केवल सिंह पठानिया	सदस्य
7.	श्री विनोद सुल्तानपुरी	सदस्य

18. प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार समिति

1.	**माननीय अध्यक्ष**	**सभापति**
2.	माननीय संसदीय कार्य मन्त्री	सदस्य
3.	माननीय राजस्व मन्त्री	सदस्य
4.	श्री विपिन सिंह परमार	सदस्य
5.	श्री अनिल शर्मा	सदस्य
6.	श्री संजय रत्न	सदस्य
7.	श्री केवल सिंह पठानिया	सदस्य
8.	श्री त्रिलोक जम्वाल	सदस्य

हस्ताक्षरित / —
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

——————

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 05 अगस्त, 2024

संख्या : टी0सी0पी0—ए03 / 1 / 2023.——हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन कार्यान्वयन करने हेतु प्रारूप अधिसूचना को इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 24—01—2024 द्वारा अधिसूचित किया गया था और उक्त अधिसूचना के राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उसके द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) और सुझाव (वों) को आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 30—01—2024 को प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी—ए(3)—1 / 2014—I, तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 21 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 21 के उप—नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नए उप—नियम (3) और (4) जोड़े जाएंगे अर्थात् :——

"(3) सरकार द्वारा अधिसूचित जोखिम आधारित वर्गीकरण के अनुसार समस्त उच्च जोखिम वाले भवनों के लिए संरचनात्मक डिजाइन रिपोर्ट और संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र के साथ भू–वैज्ञानिक अन्वेषण रिपोर्ट आवश्यक होगी।

(4) निदेशक किसी रजिस्ट्रीकृत संरचनात्मक इंजीनियर के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगा, यदि संबद्ध संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित संरचनात्मक डिजाइन में कोई संरचनात्मक अस्थिरता पाई जाती है या भवन निर्माण के पूर्ण होने पर संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और भवन संरचनात्मक रूप से स्थिर नहीं पाया जाता है।''

3. परिशिष्ट–1 का संशोधन.––उक्त नियमों' से संलग्न परिशिष्ट–1 में, सामान्य विनियम की क्रम संख्या III में :––

(क) विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

''16. नाले और खड्ड से क्रमशः 5.00 मीटर और 7.00 मीटर की दूरी पर सन्निर्माण अनुज्ञात किया जाएगा।'', और

(ख) विनियम 31 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"31. **वेली व्यू**– हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के कानूनी उपबन्धों के अधीन अधिसूचित किसी योजना या विशेष क्षेत्र के संबंध में यथा लागू किसी विकास योजना / अंतरिम विकास योजना के तत्समय प्रवृत्त किसी सामान्य विनियमों के अधीन किसी बात के होते हुए भी, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में फोर लेन / राष्ट्रीय राजमार्गों / राज्य राजमार्गों के चिन्हित खण्डों में घाटी की तरफ निर्मित होने वाले भवन सड़क के स्तर से 1.00 मीटर नीचे रहेंगे। तथापि अत्यधिक सुविधाजनक / दृश्य–स्थलों और पर्यटन संभावनाओं वाले किन्ही सड़क खण्डों पर वेली व्यू लागू करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा, वेली व्यू को पुर्वतः संरक्षित और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इनकी पहचान (चिन्हित) की जाएगी।''

टिप्पण.––पूर्वोक्त अधिनियम की अधिकारिता से परे, फोर लेन / राष्ट्रीय राजमार्गों / राज्य राजमार्गों पर अत्यधिक सुविधाजनक / दृश्य–स्थलों और पर्यटन संभावनाओं वाले सड़क खण्डों को राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किया जाएगा और इसका कार्यान्वयन और अनुश्रवण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।''

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

––––––––––

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-A03/1/2023, dated 05-08-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 2024

No. TCP-A03/1/2023-––WHEREAS, the draft notification to carry out amendments in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, was notified *vide* this Department

notification of even number dated 21st January, 2024 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 30th January, 2024 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) received in this behalf within the stipulated period by the Government;

NOW] THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 notified *vide* this Department Notification No. TCP-A (3)-1/2014-I, dated 1st December, 2014 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 01st December, 2014, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (**Eleventh Amendment)** Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 21.—In rule 21 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules'), after sub-rule (2), the following new sub-rules (3) & (4) shall be added, namely:—

"(3) For all High Risk Buildings as per Risk Based Classification notified by the Government, Geological Investigation Report along with Structural Design Report and Structural Stability Certificate shall be mandatory.

(4) The Director may suspend or cancel the registration of any registered structural engineer in case any structure infirmity is found in the structural design submitted and approved by the concerned Structural Engineer or in case the structural stability certificate is issued by a Structural Engineer upon completion of the building and the building is not found structurally stable."

3. Amendment of Appendix-1.—In Appendix-1 of the 'said rules', in serial number-III of General Regulations.–

(a) for regulation 16, the following regulation shall be substituted, namely:—

"16. **The construction shall be allowed at distance of 5.00 Metre and 7.00 Metre from Nallah and Khud respectively.**"; and

(b) after regulation 31, the following Regulation shall be added, namely:—

"32. Valley View—Notwithstanding anything contained under the general regulations of any Development Plan/ Interim Development Plan for the time being in force, as applicable in respect of any planning or special area notified under the statutory provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, any building to be constructed on the valley side of the identified stretches of the Four Lanes/National Highway/State Highway in whole of the State of Himachal Pradesh shall remain 1.00 M below the road level. However, before imposition of Valley View on any road stretches having great

vantage/view points and tourism potentials, same shall be identified by the State Government in order to fully preserve and protect the valley view.

Note.—For imposition of Valley View regulations on Four Lanes/National Highway/State Highway falling beyond the jurisdiction of the act ibid, the road stretches having great vantage/view points and tourism potentials shall be identified by the State Government and the implementation and monitoring of same shall be ensured by the Rural Development and Panchayati Raj Departments as per the provisions contained in section 11 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994."

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 5th August, 2024

No. HPERC/419.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Section 46 read with section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following further amendments in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012, namely:—

REGULATIONS

1. Short Title and Commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (Sixth Amendment) Regulations, 2024.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Substitution of Regulation 13.—For Regulation 13 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012 (hereinafter referred to as "the said Regulations"), the following Regulation shall be substituted, namely:—

"13. Standard cost data.—(1) The distribution licensee shall, on annual basis prepare the cost data (including the departmental charges) and shall, after inviting public objections, finalize the standard cost data book by 1st March of each year after considering the public observations, if any received, and after approval of the Board of Directors/Competent Authority.

(2) The Distribution Licensee shall, latest by 15th March of each year, upload the standard cost data, on its website and also make available the printed copies of the same to any

interested person on demand at a reasonable charges. Sufficient number of copies of the cost data book shall be kept available in its field offices.

(3) The cost data printed book which shall be made effective from the 1st day of start of the next financial year, shall form the basis for approving the average or normative rates as per these Regulations and also for making the initial estimates for erection of electric lines and/or electrical plants and/or any other works to be executed in order to provide supply to the applicants in cases where the cost is to be recovered on actual basis.

(4) In case the Distribution Licensee does not upload the cost data book before the start of the succeeding financial year, the cost data for the relevant current year shall continue to be followed till the same is uploaded on the website."

3. Amendment of Regulation 21.—In Regulation 21 of the said Regulations, for the words, brackets, signs and figures "Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Licensee's Duty for supply of Electricity on Request) Regulations, 2004", the words, signs and figures "the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009, as amended from time to time:" shall be substituted.

By order of the Commission,

Sd/-
(CHHAVI NANTA, HPAS),
Secretary.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

OFFICE ORDER

Shimla-171001, the 14th May, 2024

No. 1-3/96-IV.—*Ex-post-facto* sanction is hereby accorded to the grant of 08(16) medical leave on commuted basis *w.e.f.* **18th to 25th April, 2024** in favour of **Shri Vir Sain Singh, Superintendent, Grade-I (now retired)** of this department.

Certified that **Shri Vir Sain Singh, Superintendent, Grade-I (now retired)** would have continued to officiate, but for his proceeding on 08 (16) days medical leave on commuted basis and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that the said **Shri Vir Sain Singh, Superintendent, Grade-I (now retired)** was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

By order,

Sd/-
Deputy Advocate General.

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
DISTRICT BILASPUR, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Dated, the 3rd August, 2024

No. I/453992/2024.—In supersession of all previous Notifications and in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3(I) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Abid Hussain Sadiq, IAS, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or retailers in district Bilaspur with immediate effect.—

Sl. No. of the article as per Schedule I of the said order	Name of the Commodities	Maximum Retail Price
12	**Meat/Chicken**	
	(1) Meat Goat/Bheda	500.00 per kg.
	(2) Meat Pig	300.00 per kg.
	(3) Chicken Dressed	240.00 per kg.
	(4) Broiler Dressed	240.00 per kg.
	(5) Chicken Alive	150.00 per kg.
17	**Cooked Food served in any Dhaba/ Establishment**	
	(1) Chapati Tandoori	8.00 per chapatti
	(2) ChapatiTawa	7.00 per chapatti
	(3) Prantha Stuffed	20.00 per prantha
	(4) Full Diet (Rice Chapati with Dal & Vegetables)	70.00 full diet
	(5) Rice full plate	50.00 per plate
	(6) Dal Fried	60.00 per plate
	(7) Meat Curry	130.00 per plate
	(8) Chicken Curry	110.00 per plate
	(9) Vegetable Special	80.00 per plate
	(10) Matar/PalakPaneer	90.00 per plate
	(11) Two Puri with Sabji/Channa, Dahi	50.00 per plate
	(12) Raita	50.00 per dish plate
18	**Milk/Curd/Paneer**	
	(1) Milk all brands (in Packets)	As per print rate
	(2) Paneer	300.00 per kg.
	(3) Curd	70.00 per kg.
	Cold Drinks	
20	(1) Cold Drinks of all Brands	As per print rate

Note.—

1. One plate of meat/chicken curry should have 200 grams net meat pieces *i.e.* atleast minimum 5 pieces and 100 grams of gravy.

2. Matar Paneeer, Palak Paneer etc. must have atleast 100 grams cheese.

3. In the packed commodities *i.e.* bread / milk etc., the price, date of packing should be as W & M Commodities Package Act, 1976.

4. Every dealer/ shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises, which should be duly singed by the owner/manager.

5. On the demand of the customer, every shopkeeper shall issue cash memo/bill to the customer.

This notification shall be valid for a period of one month from the date of publication in the Official Gazette.

Sd/-
(ABID HUSSAIN SADIQ, IAS,),
District Magistrate,
Bilaspur, District Bilaspur (H.P.).

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
DISTRICT MANDI, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Dated, the 3rd July, 2024

No. 4371-4465.—In supersession of all previous Notifications and in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3(I) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Apoorv Devgan, IAS, District Magistrate, Mandi, District Mandi do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or retailers in district Mandi with immediate effect.—

Sl. No. of the article as per Schedule I of the said order	Name of the Commodities	Maximum Retail Price
12	**Meat/Chicken/ Fish**	
	(1) Meat Goat/Bheda	500.00 per kg.
	(2) Meat Pig	250.00 per kg.
	(3) Chicken Dressed	200.00 per kg.
	(4) Broiler Dressed	200.00 per kg.
	(5) Fish Un-fried	220.00 per kg.
	(6) Fish Fried	300.00 per kg.
	(7) Chicken Alive	150.00 per kg.
	Cooked Food served in any Dhaba/ Establishment	

17	(1) Chapati Tandoori	10.00 per chapatti
	(2) Chapati Tawa	7.00 per chapatti
	(3) Prantha Stuffed	30.00 per prantha
	(4) Full Diet (Rice Chapati with Dal & Vegetables)	80.00 full diet
	(5) Rice full plate	50.00 per plate
	(6) Dal Fried	60.00 per plate
	(7) Meat Curry	130.00 per plate
	(8) Chicken Curry	120.00 per plate
	(9) Vegetable Special	80.00 per plate
	(10) Matar/Palak Paneer	80.00 per plate
	(11) Two Puri with Sabji/Channa, inc. Dahi	50.00 per plate
	(12) Raita	30.00 per dish plate
18	**Milk/Curd/Paneer**	
	(1) Milk Local	50.00 per liter
	(2) Milk all brands (in Packets)	As per print rate
	(3) Paneer	300.00 per kg.
	(4) Curd	60.00 per kg.
	Cold Drinks	
20	(1) Cold Drinks of all Brands	As per print rate

Note.—

1. One plate of meat/chicken curry should have 200 grams net meat pieces *i.e.* atleast minimum 5 pieces and 200 grams of gravy.

2. Vegetable Special, Matar Paneeer, Palak Paneer etc. must have atleast 100 grams cheese.

3. In the packed commodities *i.e.* bread /milk etc., the price, date of packing should be as W & M Commodities Package Act, 1976.

4. Every dealer/ shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises, which should be duly singed by the owner/manager.

This notification shall be valid for a period of one month from the date of publication in the Official Gazette.

Sd/-
(APOORV DEVGAN, IAS,),
District Magistrate,
Mandi, District Mandi (H.P.).

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 2nd August, 2024

No. LLR-E(9)2/2018-Leg.—Whereas the following Advocate of District Shimla, H.P. has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against her name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—

Sl. No.	Name of Advocate	Area for which he applied for appointment of Notary
1.	Smt. Mamta Sharma, w/o Sh. Sandeep Sharma, r/o Village Tungla, PO & Tehsil Theog Distt. Shimla (H.P.).	Sub-Division Theog, District Shimla, (H.P.).

Therefore, the undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Legn. dated 3rd March, 2023, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in Rajpatra (e-Gazette) (H.P.) against her appointment as a notary in Sub-Division Theog of District Shimla.

Sd/-
RAJINDER SINGH TOMAR,
(Competent Authority),
Addl. LR-cum-*Addl. Secretary (Law).*

HIMACHAL PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9

NOTIFICATION

Shimla-9, the 7th August, 2024

No. 5-LSA/SDLSC/96/2718-2743.—In exercise of the powers conferred under section 11A of The Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987) read with Rule 14 of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1995, the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby constitutes a committee with immediate effect to be called the Taluk (Sub-Divisional) Legal Services Committee for **Bhoranj, District Hamirpur**, **H.P.** with headquarter at **Bhoranj.** The Committee shall consist of.**—**

1.	Civil Judge, Sub-Division **Bhoranj**, District Hamirpur, H.P.	Chairman
2.	Sub-Divisional Officer(C), **Bhoranj**, District Hamirpur, H.P.	Ex-officio Member
3.	Sub-Divisional Police Officer of concerned jurisdiction/area **(Barsar)**	-do-
4.	President of the Bar Association, **Bhoranj**, District Hamirpur, H.P.	-do-

5. Such other Member(s) as may be nominated separately by the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh

By order
of H.P. State Legal Services Authority,

Sd/-
Member Secretary.

ब अदालत श्री इन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती लज्जा देवी पुत्री श्री हरि चन्द, निवासी ग्राम कोदेवाला, डाकघर व पंचायत हरिपुर खोल, उप–तहसील माजरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती लज्जा देवी पुत्री श्री हरि चन्द, निवासी ग्राम कोदेवाला, डाकघर व पंचायत हरिपुर खोल, उप–तहसील माजरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 29–12–1971 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत हरिपुर खोल में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत हरिपुर खोल में अपनी जन्म तिथि 29–12–1971 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती लज्जा देवी पुत्री श्री हरि चन्द, निवासी ग्राम कोदेवाला, डाकघर व पंचायत हरिपुर खोल, उप–तहसील माजरा में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त समयावधि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत हरिपुर खोल में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के ओदश जारी कर दिया जायेंगे।

आज दिनांक.........................को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह, निवासी नजदीक आर. एण्ड टी. फैक्टरी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह, निवासी नजदीक आर. एण्ड टी. फैक्टरी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री गुरप्रीत कौर (श्री सुरजीत सिंह एवं श्रीमती दलजीत कौर) की जन्म तिथि 29–03–1981 है, जोकि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 09–08–2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह, निवासी नजदीक आर. एण्ड टी. फैक्टरी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की पुत्री गुरप्रीत कौर की जन्म तिथि दिनांक 29–03–1981 नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 04–07–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती बाला देवी पुत्री श्री शिव चरण एवं श्रीमती मीमला देवी, निवासी गांव एवं डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती बाला देवी पुत्री श्री शिव चरण एवं श्रीमती मीमला देवी, निवासी गांव एवं डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 01–01–1963 है, जोकि ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 09–08–2024 को प्रातः 10.00

बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती बाला देवी पुत्री श्री शिव चरण एवं श्रीमती मीमला देवी, निवासी गांव एवं डा० शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 01–01–1963 को ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 04–07–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री गफूर पुत्र श्री सुलामूदीन, निवासी गांव डाकरा वाला, डा० एवं ग्राम पंचायत बिक्रम बाग, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री गफूर पुत्र श्री सुलामूदीन, निवासी गांव डाकरा वाला, डा० एवं ग्राम पंचायत बिक्रम बाग, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पुत्र उजैफ (श्री गफूर एवं श्रीमती उल्फत) की जन्म तिथि 5–12–2020 है, जोकि ग्राम पंचायत बिक्रम बाग, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०), में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 06–08–2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री गफूर पुत्र श्री सुलामूदीन, निवासी गांव डाकरा वाला के पुत्र उजैफ (श्री गफूर एवं श्रीमती उल्फत) की जन्म तिथि 5–12–2020 को ग्राम पंचायत बिक्रम बाग, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०), में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 06–07–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

CHANGE OF NAME

I, Rekha Kumari w/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village Darabli, P.O. Sarsoo, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Rekha Kumari to Sarita.

REKHA KUMARI
w/o Sh. Rakesh Kumar,
r/o Village Darabli, P.O. Sarsoo,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ashwani Kumar s/o Shiv Lal, r/o Kashmiri Mohalla, Subathu, District Solan (H.P.) have changed my minor daughter's name from Ganika to Gavika.

ASHWANI KUMAR
s/o Shiv Lal,
r/o Kashmiri Mohalla,
Subathu, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hema Devi w/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Patlamore, Udepur, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my minor daughter's name from Amayra to Divisha.

HEMA DEVI
w/o Sh. Vinod Kumar,
r/o Village Patlamore, Udepur, P.O. Kumarhatti,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Khajan Singh Zinta s/o Sh. Dhyan Singh, r/o Village Jaigarh, P.O. & Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Khajan Singh Zinta to Khazan Singh Zinta.

KHAJAN SINGH ZINTA
s/o Sh. Dhyan Singh,
r/o Village Jaigarh, P.O. & Tehsil Chopal,
District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Punam w/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Dochi, P.O. Bhujjal, Teh. Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Punam to Reeta Devi.

PUNAM
w/o Sh. Suresh Kumar,
r/o Village Dochi, P.O. Bhujjal,
Teh. Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anuradha w/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village Panti, P.O. Jathia, Teh. & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Anuradha to Anu. All concerned please may note.

ANURADHA
w/o Sh. Rakesh Kumar,
r/o Village Panti, P.O. Jathia,
Teh. & District Shimla (H.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, परमजीत पुत्र प्यारा लाल, गांव व डाकघर गोंदपुर जयचंद, सब–तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0) ब्यान करता हूं कि मेरी बेटी के आधार में बेटी का नाम गलती से हरमन दीप कौर लिखा गया है, जबकि इसका सही नाम हरमन दीप है। कृपया नोट करें।

परमजीत
पुत्र प्यारा लाल,
गांव व डाकघर गोंदपुर जयचंद,
सब–तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Reeta Devi age 37 years w/o Sh. Lekh Raj Verma, r/o Village Ghayaboo, P.O. Mashobra, Tehsil and Distt. Shimla (H.P.)-171 007 do hereby declare that my name in Aadhaar Card is wrongly mentioned as Reeta Verma which may be corrected to Reeta Devi. All concerned may please note.

REETA DEVI
w/o Sh. Lekh Raj Verma,
r/o Village Ghayaboo, P.O. Mashobra,
Tehsil and Distt. Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।